गा0/2

के [illegible]

11/01/17 प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी अनुपस्थित। उन्हें इजलास से उठने तक एक बार उच्च आवाज लगाने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं आया। उपस्थित अप्रार्थी वकील ने अवगत कराया कि प्रार्थी गोपाल की मृत्यु दि0 21-5-16 को ग्राम खुटिया में मृत्यु हो चुकी है उसके LR बाबत कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है प्रकरण अकेला प्रार्थी गोपाल ही था। स्वयं गोपाल के वकील ने न्यायालय को दि0 29-9-16 को अवगत करवा दिया था कि प्रार्थी की मृत्यु हो गई है उसके LR लेने माननीय न्यायालय द्वारा समय भी दिया गया लेकिन आज तक कोई आवेदन पेश नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में प्रकरण पर कार्यवाही बाबत दिवानी के आदेश 22 नियम 9(3) के तहत स्वतः ही अबेट हो चुकी है अतः प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही अबेट फर्माई जावे। वकील अप्रार्थीगण के तर्क न्याय संगत है। प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही अबेट की जाती है। मिसल फैसल शुमार हो। नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.27 16:32:50 IST
Reason: SelfAttested